(ख) सरकार ने इस संबंध में समय-समय पर आश्वासन दिए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श करने और विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, दिनांक 17 और 18 मई, 1995 को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राज्य श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों की बैठक के दौरान, प्रचालित स्थानीय दशाओं के अनुसार विधान को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त लोचशीलता प्रदान करने की व्यवस्था के साथ कृषि कर्मकारों के लिए एक केन्द्रीय विधान की आवश्यकता के बारे में अन्तिम रूप से एक आम मतैक्य हुआ है।

गांवों को वस्तुओं की आपूर्ति

2068. **श्री रामजीलालः** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार इस समय देश में गांवों को अनाजों, चावल, दालों और अन्य ऐसी वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति कर रही है और इस संबंध में क्या मान-दण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) गांवों और शहरों में इनके वितरण का प्रतिशत कितना-कितना है; और

(ग) गांवों के संबंध में इस प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण के जरिए वितरण हेतु चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल, सुपीरियर मिट्टी का तेल और सी०आई०एल०/साफ्ट कोक का थोक में आवंटन करती है। इसके आगे उपभोक्ताओं को वितरित करने तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटन से संबंधित निर्णय करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को किए गए आवंटन का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आवंटन के मामले में शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच कोई विभेद नहीं करती है। तथापि, आदिवासी बहुल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले खण्डों में अवस्थित शहरी नगर बस्तियों के निवासी संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए लागू विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर चावल और गेहूं पाने के पात्र नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार, उत्पादन, अधिप्राप्ति, केन्द्रीय पूल में उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं आयातित स्टाक की उपलब्धता और मौसमजन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेल जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का मासिक आवंटन करती है। लेवी चीनी का आवंटन आमतौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 1.10.86 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। जनवरी, 1986 से 1991 की जनगणना के आधार पर आकलित आबादी को लेवी चीनी का आवंटन करने का निर्णय किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल का आवंटन भूतकालिक आधार पर किया जाता है। सभी राज्यों को सुपीरियर मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति आवंटन के राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि का निर्णय किया जा रहा है।

Supply of poor quality coal to steel industries

2069. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in Business Standard of 19th September 1995 captioned poor quality coal inflicts huge output loss on sponge iron units;

(b) if so, whether Government's attention has been drawn by some steel manufacturers and Government departments towards the economic loss being suffered by steel industries due to the inferioir quality of coal;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what concrete steps have been taken by Government for improvement of quality of coal supplied alongwith the increasing quantity?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) Yes, Sir. Sponge Iron Manufacturers Association (SIMA) has been representing about quality of non-coking coal being supplied to the coal based sponge iron units. In their paper submitted to Ministry of Steel in February, 1995, SIMA had highlighted the impact of quality on operational as well as economic aspects of coal based sponge iron units.

(d) Coal companies have taken steps like installation of coal handling plants, segregation of stone/shales at the time of loading of coal, better supervision and encouraging the consumers to post their representatives at the loading point. Complaints relating to quality as well as quantity are being examined by the concerned coal companies on merit of each case and corrective action taken to reduce the grievances of the consumers.

Raids on the Residence of Super Bazar Officials

2070. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the number of Super Bazar Officials whose premises were raided by the C.B.I. during each of the last two years, yearwise;

(b) the names of places where such raids were conducted;

(c) the value of the illegal assets recovered from them;

(d) the number of staff/employees/officers convicted and acquitted separately; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUIBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) It has reported by the Super Bazar that they do not have any information in respect of raid conducted by C.B.I. at the Office/Residential premises of any of its official during the last two years.

(b) to (e) Do not arise.

दो वर्ष पहले गेहूं और चावल का खरीदा गया भंडार

2071. **श्री राघवजी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्षों पहले सरकार द्वारा खरीदे गये गेहूं और चावल के भंडार की मात्रा कितनी है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): 1993-94 से पहले के तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए निम्नलिखित खरीद की गई: